प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला – भ्र.नि.ब्यूरो (एस.यू.) जोधपुर थाना – प्र. आ. केन्द्र भ्र. नि. ब्यूरो, जयपुर

प्र. ई. रि. स. – 83/2023 दिनांक – 12/4/2023

2. (अ) अधिनियम – भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धाराये – 7

(ब) अधिनियम – .... धाराये – .....

(स) अधिनियम – ..... धाराये – .....

(द) अन्य अधिनियम – ..... धाराये – .....

3. अ. रोजनामचा आम रपट संख्या – 220 समय – 6:00 Pm

ब. अपराध के घटने का दिन – मंगलवार, दिनांक – 11.04.2023 समय – 07.56 पी.एम.

स. कार्यालय पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 09.04.2023 समय – 05.30 पी.एम.

4. सूचना की किस्म – लिखित/मौखिक – टाईपशुदा।

5. घटना स्थल –

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बरूख दक्षिण 200 किलोमीटर लगभग

(ब) पता:– विद्युत विहार कॉलोनी आकाशवाणी के पास सरकारी आवास संख्या आर–2/1

बीट संख्या जरायमदेही संख्या

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं तो

पुलिस थाना ..... जिला .....

6. परिवादी/सह परिवादी का नाम

1. (अ) नाम – श्री सुरजनराम (ब) पिता/पति का नाम – स्व. श्री हनुमानाराम

(स) जन्म तिथि/वर्ष – 36 वर्ष (द) राष्ट्रीयता – भारतीय

(य) व्यवसाय – ठेकेदार (र) पता – ग्राम राणासर कल्ला, पुलिस थाना धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियो सहित–

1. श्री अशोक पारख पुत्र श्री बच्छराज पारख उम्र 53 साल जाति जैन पैशा नौकरी निवासी मकान नम्बर 154 रूप रजत टाउनशिप पाल रोड़ जोधपुर हाल उप मुख्य अभियन्ता गिरल लिग्नाईट पॉवर (जी.एल.पी.एल.) बाड़मेर

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कुछ नही

9. चुराई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां – शुन्य

10. चुराई हुई लिप्त सम्पतियां का कुल मुल्य :– **रिश्वत राशि 35,000/– रू.**

11. पंचनामा/यूडी केस संख्या (अगर कोई हो तो)..... कोई नहीं.....

12. विषय वस्तु प्रथम इतला रिपोर्ट.....

सेवा में,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों
(स्पेशल यूनिट) जोधपुर

विषयः– रिश्वत मांगने वाले अधिकारी को रिश्वत राशि लेते हुये को रंगे हाथों पकड़वा कर कानूनी कार्यवाही करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं सुरजनराम पुत्र स्व. श्री हनुमानाराम जाति विश्नोई उम्र 36 वर्ष निवासी राणासर कल्ला पुलिस थाना धोरीमन्ना जिला बाड़मेर का रहने वाला हूं। मेरी फर्म सूर्या एण्ड कम्पनी बाड़मेर को कार्यालय मुख्य अभियन्ता गिरल लिग्नाईट पावर लिमिटेड (जी.एल.पी.एल.) बाड़मेर के द्वारा वर्ष 2022–23 का मानव संसाधन (श्रमिक) उपलब्ध करवाने का टेंण्डर दे रखा है। मैं इस फर्म का प्रोपराईट मालिक हूं। मेरी फर्म द्वारा माह अक्टुम्बर 2022 से नियमित 04 श्रमिक थुम्बली प्लान्ट पर एवं 02 श्रमिक एकाउन्ट ऑफिस में कुल 06 मानव संसाधन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा 03 श्रमिक उर्जा नगर , 02 श्रमिक विद्युत विहार एवं 01 श्रमिक एकाउन्ट ऑफिस में कुल 06 सफाई कर्मचारी, इस तरह कुल 12 श्रमिक उपलब्ध करवाये जा रहे है। उक्त 06 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीयों का बिल फरवरी 2023 तक बनाकर रोक रखा है जिसकी राशि 2.80 लाख है तथा 06 सफाई कर्मचारीयों का भुगतान बिल आदिनांक तक नही बनाया गया है। आदिनांक तक मेरा लगभग 06.00 लाख का बिल एवं 1.00 लाख के टेण्डर भरने में साथ दी गई अमानत राशि मेरे द्वारा सम्बन्धित अधिकारी श्री अशोक पारख उप मुख्य अभियन्ता जीएलपीएल बाड़मेर से कई बार मांगने के बावजुद भुगतान नही किया जा रहा है। भुगतान राशि करीब 7 लाख रूपये बकाया चल रहे है जबकि मेरे द्वारा अपनी फर्म के मार्फत श्रमिको को भुगतान मेरे स्तर पर किया जा चुका है। मैं प्रत्येक श्रमिक को सम्बन्धित कार्य हेतु भुगतान जरिये बैंक ट्राजेक्शन से 7000/– रूपये करता हूं। मेरे उक्त श्रमिको के बिल का भुगतान करने, बकाया बिल बनवाने एवं अमानत राशि करीब 1 लाख रूपये पुनः लौटाने की एवज में श्री अशोक पारख उप मुख्य अभियन्ता गिरल लिग्नाईट पावर लिमिटेड (जी.एल.पी.एल.) बाड़मेर द्वारा 36 हजार रूपये बतौर रिश्वत राशि की मांग की जा रही है। मैं मेरे जायज काम की एवज में श्री अशोक पारख उप मुख्य अभियन्ता जीएलपीएल बाड़मेर को रिश्वत राशि नही देकर उन्हे रिश्वत लेते हुये रंग हाथों पकड़वाकर कानूनी कार्यवाही करवाना चाहता हूँ। मेरी श्री अशोक पारख से कोई दुश्मनी या लेन–देन बकाया नही है। अतः रिपोर्ट पेश कर निवेदन है कि कानूनी कार्यवाही करावें।

संलग्नः– 1. आधार कार्ड की फोटो प्रति.
2. जीएलपीएल बाड़मेर व परिवादी के फर्म के मध्य हुये एग्रीमेन्ट एवं बकाया बिल की फोटो प्रति।

दिनांक 09.04.2023

भवदीय,
एसडी/
(सुरजनराम)
पुत्र स्व. श्री हनुमानाराम जाति बिश्नोई उम्र 36 वर्ष निवासी राणासर कल्ला पुलिस थाना धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।
90019–3442

एसडी/राकेश कुमार मीणा
एसडी/सुशील

एसडी/राजेन्द्रसिंह

एसडी/डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित

कार्यवाही पुलिस दिनांक 09.04.2023 समय 05.30 पी.एम.

इस समय परिवादी श्री सुरजनराम पुत्र स्व. श्री हनुमानाराम जाति बिश्नोई उम्र 36 वर्ष निवासी राणासर कल्ला पुलिस थाना धोरीमन्ना जिला बाड़मेर ने कार्यालय में उपस्थित हो उपरोक्त टाईपसूदा रिपोर्ट पेश की एवं दरियाफ्त पर बताया कि श्री अशोक पारख उप मुख्य अभियन्ता बहुत ही शातिर दिमाग हैं जो अपने घर पर तैयार कराये गार्डन में खर्च हुए तीन हजार रूपये भी मुझेसे लेना चाहता है वह तीन हजार लेने पर ही मुझसे वह मेरे पैण्डिंग कार्य की बात करेगा व रिश्वत की मांग करेगा उपरोक्त रिपोर्ट से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का पाया जाने से नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

एसडी/
सुरजनराम

एसडी/
(दुर्ग सिंह राजपुरोहित)
अति.पुलिस अधीक्षक
09.04.2023

वक्त 06.00 पी.एम. पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री रामचन्द्र सिह कानि. नं. 432 को अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर कार्यालय का डिजिटल वाईस टेप रिकार्डर कार्यालय की अलमारी से निकलवाकर परिवादी श्री सुरजनराम को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की विधि समझाईश की गई तथा श्री रामचन्द्र सिह कानि. नं. 432 का परिवादी श्री सुरजनराम का आपस में परस्पर परिचय करवाया गया व श्री रामचन्द्र सिह कानि. नं. 432 व परिवादी श्री सुरजनराम के मोबाईल नम्बर आपस में आदान–प्रदान करवाये गये। तत्पश्चात् वक्त 06.15 पी. एम. पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को खाली होना सुनिश्चित कर श्री रामचन्द्रसिंह कानि0 नम्बर 432 को सुपर्द कर परिवादी श्री सुरजनराम व आरोपी अशोक पारख उप मुख्य अभियन्ता के मध्य रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाकर लानें हेतु एवं आरोपी श्री अशोक पारख द्वारा अपने गार्डन तैयार करवाने हेतु दी गई मजदूरी पेटे मांगी गई राशि वक्त सत्यापन उन्हे देने की हिदायत कर परिवादी श्री सुरजनराम एवं श्री रामचन्द्र कानि0 नम्बर 432 को आवश्यक हिदायत के साथ जरिये परिवादी श्री सुरजनराम की निजी कार से के कार्यालय से बाड़मेर के लिए रवाना किया गया एवं हिदायत दी गई की देर रात्रि में वार्तालाप नहीं होने की स्थिति में रात्रि मुकाम वही कर दूसरे दिन वार्ता का प्रयास करें। दिनांक 10.04.2023 को वक्त 08.45 पी.एम. पर श्री रामचन्द्र सिंह कानि. ने जरिये वॉटसेप वॉयस कॉल मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि परिवादी सुरजनराम व संदिग्ध अधिकारी अशोक पारख के मध्य रिश्वती राशि मांग की वार्ता हो चुकी है तथा परिवादी के बताये कथनों के अनुसार 35000 रूपये बतौर रिश्वत संदिग्ध अधिकारी द्वारा मांग की गई है तथा राशि कल देना तय हुआ है जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कानिस्टेबल रामचन्द्रसिंह को निर्देशित किया गया कि परिवादी को आरोपी अधिकारी द्वारा तय की गई रिश्वति राशि की व्यवस्था कर साथ लेकर आने हेतु पाबन्द करे तथा रिश्वत राशि की व्यवस्था हो जाने पर डिजीटल वॉयस रिकार्डर को सुरक्षित साथ लेकर कार्यालय उपस्थित आवें। गोपनीय कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने के कारण मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जरिये टेलीफोन सहायक अभियन्ता ए–3 जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर को दो कार्मिक गोपनीय कार्यवाही हेतु कल दिनांक 11.04.2023 को प्रातः 6.00 ए.एम. पर स्पेशल युनिट ब्यूरो कार्यालय में भिजवाने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 11.04.2023 को वक्त 05.00 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित श्री रामचन्दसिंह कानि0 नम्बर 432 हमराह परिवादी श्री सुरजनराम को अपने कार्यालय कक्ष में तलब किया गया। श्री रामचन्दसिंह कानि0 नम्बर 432 ने ब्यूरो कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर स्वीच ऑफशुदा सुपुर्द किया तथा परिवादी सुरजनराम ने बताया कि मैं व रामचन्द्रसिंह दिनांक 9.04. 2023 ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर बाड़मेर पहुचे जहा पर मेने मेरे स्तर पर गोपनीय रूप से संदिग्ध अधिकारी श्री अशोक पारख उप मुख्य अभियन्ता की उपस्थिति के बारे में जानकारी की तो ज्ञात हुआ कि श्री अशोक पारख अपनी सकूनत जोधपुर गये हुये है तथा कल दिनांक 10.04.2023 को शाम तक बाड़मेर लौटेगे जिस पर आपके निर्देशानुसार मैं व रामचन्द्र सिंह बाड़मेर में गोपनीय रूप से मुकीम रहकर संदिग्ध अधिकारी अशोक पारख के बाड़मेर लौटने का इन्तजार किया कल दिनांक 10.04.2023 को वक्त करीब 6.30 पी.एम.पर संदिग्ध अधिकारी के अपने निवास पर लौटने की जानकारी होने पर मेरे द्वारा श्री रामचन्द्र सिह को संदिग्ध अधिकारी की उपस्थिति के बारे में बताया जिस पर हम दोनो विधुत विहार कोलोनी स्थित श्री अशोक पारख के सरकारी आवास के पास पहुचे जहा पर श्री रामचन्द्रसिंह ने मुझे आवश्यक हिदायत देकर ब्यूरो का डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर मुझे सुपुर्द कर अशोक पारख से रिश्वती

राशि मांग की वार्ता करने हेतु रवाना किया जिस पर मै श्री अशोक पारख के आवास पर पहुॅचा जहां पर श्री अशोक पारख उपस्थित मिले तथा मेरी फर्म की श्रमिकों के पेण्डिग बिलों के बारे में वार्ता हुई तथा कहा कि मेरे गार्डन में मजदुरी पैटे कुल 2500/–रूपये मेरी जेब में से लगे है वो मुझे आप दे दो तब मैंने मेरी जेब से 3000/–रूपये निकालकर उसी समय उनको दे दिये। उसके बाद श्री अशोक पारख द्वारा मेरे श्रमिकों के मजदूरी के पेंण्डिग बिलों के भुगतान की ऐवज में एक मजदूर को प्रत्येक माह दी जाने वाली मजदूरी 6000 रूपये के हिसाब से पेंण्डिग 6 माह का कुल पेण्डिग भुगतान 36000 रूपये बतौर कमीशन रिश्वत के तौर मांग की जिस पर मेरे द्वारा राशि कम करने का निवेदन करने पर श्री अशोक पारख 35000 रूपये रिश्वत लेने के लिए सहमत हुआ है। उक्त वार्ता डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है। साथ ही उपस्थित कानिस्टेबल रामचन्द्रसिंह ने परिवादी की उक्त कथनों की ताईद की जिस पर डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड परिवादी व संदिग्ध अधिकारी की मांग वार्ता के मुख्य अंशो को सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये उपरोक्त कथनों की ताईद होकर रिश्वती राशि की मांग की पुष्टि हुई। परिवादी ने बताया कि संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वती राशि 35000 रूपये साथ लेकर आया हूॅ। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास ए.सी.बी चौकी जोधपुर का अतिरिक्त चार्ज होने एवं दिगर राजकार्य में व्यस्त होने से मन् राजेन्द्रसिह निरीक्षक पुलिस को अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर गोपनीय कार्यवाही से अवगत करवाया जाकर कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री सुरजनराम का मेरा आपसी परिचय करवाकर परिवादी सुरजनराम द्वारा पेश शिकायत मय संलग्न दस्तवेजात का अवलोकन करवाकर एवं कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर जिसमें परिवादी सुरजनराम व आरोपी श्री अशोक पारख उप मुख्य अभियन्ता के मध्य हुई रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है को मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री सुरजनराम व परिवादी के प्रार्थना पत्र मय संलग्न दस्तवेजात एवं कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के अपने कार्यालय कक्ष में उपस्थित आया व परिवादी श्री सुरजनराम से आवश्यक पुछताछ कर परिवादी श्री सुरजनराम द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर जिसमें परिवादी श्री सुरजनराम व आरोपी श्री अशोक पारख उप मुख्य अभियन्ता के मध्य हुई रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है उक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को ऑन कर रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो रिश्वति राशि मांग की पुष्टि होना पाया गया। उक्त मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट आईन्दा बनाने का निर्णय लिया जाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् निरीक्षक पुलिस ने अपनी अभिरक्षा सुरक्षित में रखा। वक्त 06.10 ए.एम. पर कार्यालय सहायक अभियन्ता ए–3 जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर से पूर्व से पाबन्दशुदा दो कार्मिक ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। जिन्हे मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा दोनो कार्मिको को अपना परिचय देकर उनका परिचय पुछा तो उन्होने अपना परिचय बारी–बारी से श्री राकेशकुमार पुत्र श्री भगवान सहाय मीणा जाति मीणा उम्र 39 साल निवासी माधवनगर मोडा बालाजी रोड वार्ड नम्बर 02 दौसा हाल कार्यालय सहायक, कार्यालय सहायक अभियन्ता ए–3 जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर एवं श्री सुशील पुत्र श्री कानाराम जाति देवासी उम्र 46 साल निवासी साथीन तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर हाल हैल्पर द्वितीय कार्यालय सहायक अभियन्ता ए–3 जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर होना बताया। जिस पर उक्त दोनो कार्मिको को बुलाने के मंतव्य से अवगत करवाकर कार्यालय कक्ष में उपस्थित परिवादी श्री सुरजनराम का आपसी परिचय दोनो कार्मिको से करवाया गया एवं परिवादी श्री सुरजनराम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पढकर सुनाई गई तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान को पढ़वायी गयी व कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर जिसमें परिवादी श्री सुरजनराम व आरोपी श्री अशोक पारख उप मुख्य अभियन्ता के मध्य हुई रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता जो रिकार्ड है उक्त वार्ता के मुख्य–मुख्य अंश दोनो कार्मिको को सुनवाये गये। दोनो कार्मिको द्वारा परिवादी से उनके द्वारा प्रस्तुत शिकायत मे अंकित तथ्यों के बारे में पूछताछ कर एवं रिकार्ड वार्ता के मुख्य अंश सुनकर अग्रिम कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति दी। जिस पर परिवादी श्री सुरजनराम की रिपोर्ट एवं दस्तावेजों पर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने अपने अपने दिनांकित हस्ताक्षर किये। इसी दौरान ए.सी.बी चौकी जोधपुर शहर से पूर्व से पाबन्दशुदा श्री रामकिशोर हैड कानि. नम्बर 56 कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया। तत्पश्चात् वक्त 06.45 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा दोनों स्वतन्त्र गवाहान के रू–ब–रू परिवादी श्री सुरजनराम पुत्र स्व. श्री हनुमानाराम जाति बिश्नोई उम्र 36 वर्ष निवासी राणासर कल्ला पुलिस थाना धोरीमन्ना जिला बाड़मेर द्वारा आरोपी श्री अशोक पारख उप मुख्य अभियन्ता को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहा गया जिस पर परिवादी श्री सुरजनराम ने भारतीय मुद्रा के 500–500 रूपये के 70 नोट कुल राशि 35,000/– रूपये पेश किये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटों के नंबरो का विवरण निम्नानुसार है:–

1.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	4 GF 782975

2.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5 VK 774344
3.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5 NN 638440
4.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7 CT 783096
5.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8 TP 181763
6.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0 CH 361787
7.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9 MD 895599
8.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0 AE 307489
9.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8 GN 490572
10.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0 AQ 441191
11.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	6 DF 050708
12.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1 AR 124709
13.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1 NN 836034
14.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5 CA 427826
15.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0 VV 781018
16.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7 BU 291084
17.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	6 MP 474701
18.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	2 DG 209068
19.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	6 LL 474051
20.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	4 DU 633298
21.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9 CP 179435
22.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5 QT 899902
23.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	4 DS 812978
24.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	6 TK 361347
25.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	6 HL 718147
26.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0 DE 644115
27.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1 KL 501906
28.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3 UV 031062
29.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1 RU 212460
30.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7 VF 850133
31.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	2 CW 348508
32.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1 BF 149710
33.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8 GW 336840
34.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8 GW 336839
35.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8 GW 336838
36.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5 SW 781890
37.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8 GA 190826
38.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8 AV 392804
39.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3 DQ 139377
40.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	4 HS 057647
41.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3 DQ 661335
42.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3 QL 003059
43.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5 AR 510027
44.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0 CR 988395
45.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3 DQ 157634

46.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5 NA 422551
47.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9 PN 365790
48.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9 PN 365791
49.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9 FT 221156
50.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9 FT 221155
51.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9 FT 221154
52.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5 QE 935722
53.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7 DT 314930
54.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5 RD 913133
55.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5 BD 875222
56.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	4 DM 951325
57.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0 EM 223432
58.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5 GA 089997
59.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	2 CP 231978
60.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3 CH 479817
61.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0 AS 997012
62.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5 FQ 397012
63.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3 DD 569717
64.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1 VM 454881
65.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1 TN 508897
66.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7 HR 600741
67.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7 KP 775537
68.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0 HA 065388
69.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	2 PK 405464
70.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9 AC 801820

श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाकर उपरोक्त 35000/– रूपये के नोटों को अखबार के उपर रखवाकर नोटों पर हल्का–हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री सुरजनाराम की जामा तलाशी गवाह श्री राकेश कुमार मीणा से लिवाई जाकर मोबाईल 90019–34422 परिवादी के पास रहने दिया गया। इसके अलावा कोई आपतिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त 35,000/–रूपये जो श्री अशोक पारख उप मुख्य अभियन्ता गिरल लिग्नाईट पावर लिमिटेड (जी.एल.पी.एल) बाड़मेर को दी जानी है, तथा परिवादी के बतायेनुसार रिश्वति राशि संदिग्ध अधिकारी द्वारा लिफाफे में ही रखकर प्राप्त की जाती है। जिस पर श्रीमती सुशीला महिला कानि. से उक्त राशि 35,000/–रूपये एक सफेद लिफाफे में रखवाकर लिफाफे पर हल्का–हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। तत्पश्चात रिश्वति राशि के लिफाफे को श्रीमती सुशीला महिला कानि. से ही परिवादी श्री सुरजनराम के पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रखवाया जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री सुरजनराम को हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि व रिश्वति राशि लिफाफे को रास्ते में नहीं छुऐ एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि के लिफाफे को पेन्ट की दाहिनी जेब से निकाल कर उन्हें देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे एवं रिश्वत राशि का आदान प्रदान हो जाने पर गोपनीय ईशारा अपने मोबाईल से श्री रामचन्द्रसिंह कानि. के मोबाईल नं. 9413249784 पर फोन कर "मैं आ रहा हूं" का कहने को हिदायत दी गई। तत्पश्चात् एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरी ने घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल में श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 के हाथों की अंगुलियों एवं अंगुठे डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम

कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया–प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में भली भांति समझाया गया। फिर नोटों पर पाउडर लगाने वाली श्रीमती सुशीला महिला कानि. से गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया एवं जिस अखबार पर रख कर नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था, उस अखबार को भी जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को पाउडर लगाने वाली श्रीमती सुशीला महिला कानि. से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी गई। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करें। उपस्थित सभी जाब्ता एवं गवाहान की आपस में जामा तलाशी लिवाई जाकर उनके पास कोई आपतिजनक वस्तु एवं राशि नहीं रहने दी गई। सभी उपस्थितान के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। उक्त समस्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी रिश्वती राशि एवं दृष्टान्त फिनोफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि मुर्तिब की गई। तत्पश्चात वक्त 07.17 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री अयूब खॉन उ.नि. हमराह दोनो स्वतन्त्र गवाहान सर्व श्री राकेशकुमार मीणा व श्री सुशील मय ब्यूरो स्टाफ श्री मेघराज हैड कानि. 63, श्री देवाराम कानि. नम्बर 373 मय, लेपटोप प्रिन्टर ट्रेप बाक्स व अन्य सामग्री, परिवादी के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली मय जरिये सरकारी वाहन टवेरा मय चालक खमाराम नं. 356 के कार्यालय से बाड़मेर की तरफ रवाना कर मन् निरीक्षक पुलिस मय कार्यालय हाजा का डिजीटल वॉइस रिकार्डर के हमराह श्री रामकिशोर हैड कानि. 56 व श्री रामचन्द्रसिह कानि. नं. 432 एवं परिवादी श्री सुरजनराम के परिवादी की निजी कार से बाड़मेर के लिए रवाना होकर वक्त 10.25 ए.एम. पर बाड़मेर से थोड़ी दुरी पहले पहुंचे जहां पर परिवादी श्री सुरजनराम को गोपनीय रूप से अपने सूत्रों द्वारा संदिग्ध अधिकारी अशोक पारख उप मुख्य अभियन्ता की उपस्थिति के बारे में जानकारी करवाई गई तो ज्ञात हुआ कि श्री अशोक पारख जीएलपीएल प्लान्ट थूम्बली गये हुये है जो शाम तक वापस लौटेंगे साथ ही परिवादी ने कहा कि श्री अशोक पारख रिश्वती राशि का आदान प्रदान घर पर ही करते है। जिस पर बाड़मेर के पास ही गोपनीय रूप से उपस्थित रहकर संदिग्ध अधिकारी अशोक पारख उप मुख्य अभियन्ता के पुनः निवास पर उपस्थित आने का ईन्तजार किया। वक्त 07.35 पी.एम. पर संदिग्ध अधिकारी अशोक पारख उप मुख्य अभियन्ता की उपस्थिति के बारे में परिवादी श्री सुरजनराम से गोपनीय रूप से जानकारी करवाने पर ज्ञात हुआ कि श्री अशोक पारख अपने निवास पर उपस्थित आ चुके है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमरायान के सरकारी वाहन एवं परिवादी के निजी वाहन से गोपनीय स्थान से रवाना होकर विधुत विहार कोलोनी के पास पहुचे। जहा पर वाहनो को रूकवाकर परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर का स्वीच ऑन कर सुपुर्द कर कोलोनी मे स्थित सदिग्ध अधिकारी अशोक पारख के सरकारी आवास के लिए वास्ते रिश्वती राशि आदान प्रदान करने के लिए रवाना किया गया। परिवादी की गाड़ी के पीछे पीछे कानि. रामचन्द्रसिंह को आवश्यक हिदायत के साथ पैदल रवाना किया एवं मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमरायान ने भी उक्त कोलोनी के मुख्य दरवाजे से थोड़ी दूरी पर गली में सरकारी वाहन में बैठकर पूर्व से तय शुदा परिवादी का गोपनीय ईशारा होने पर कानि. रामचन्द सिंह के फोन का इंतजार किया। वक्त 7.56 पी.एम. पर परिवादी श्री सुरजनराम पुत्र स्व. श्री हनुमानाराम जाति विश्नोई उम्र 36 साल निवासी राणासर कला पुलिस थाना धोरीमन्ना जिला बाड़मेर ने पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा अपने मोबाईल से श्री रामचन्द्र सिंह कानि. के मोबाईल पर फोन कर "मैं आ रहा हूँ " कहने पर कानिस्टेबल द्वारा मन् राजेन्द्र सिंह निरीक्षक पुलिस को जरिये फोन परिवादी व संदिग्ध अधिकारी के बीच रिश्वती राशि का आदान प्रदान हो जाने बाबत सूचित किया गया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराह मौतबिरान एवं ब्यूरो जाप्ता को साथ लेकर आकाशवाणी रोड़ पर स्थित विधुत विहार कोलोनी में सरकारी आवास नम्बर आर–2/1 के सामने पहुँचा जहां पर आवास के मुख्य दरवाजें पर परिवादी श्री सुरजनराम उपस्थित मिला जिनसे कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने अपने पास ही ब्लू टी–शर्ट एवं लोवर पहने हुये खड़े एक व्यक्ति की और ईशारा कर बताया कि यही श्री अशोक पारख उप मुख्य अभियन्ता जीएलपीएल बाड़मेर है जिन्होने अभी अभी बतौर रिश्वत राशि 35000 रूपये मांगकर उक्त राशि अपने आवासीय क्वार्टर के बैठक रूम में रखी टी टेबल पर रखने का ईशारा करने पर मेरे द्वारा रिश्वती राशि का लिफाफा उनके द्वारा ईशारो से बताई टी–टेबल पर रखा गया, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना एवं समस्त हमरायान का परिवादी के पास खड़े व्यक्ति को परिचय देकर उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होने अपना नाम श्री अशोक पारख पुत्र श्री बच्छराज पारख उम्र 53 साल जाति जैन पैशा नौकरी निवासी मकान नम्बर 154 रूप रजत टाउनशिप पाल रोड़ जोधपुर हाल उप मुख्य अभियन्ता गिरल लिग्नाईट पॉवर (जी.एल.पी.एल.) बाड़मेर होना बताया । जिस पर मन्

निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री अशोक पारख को साथ लेकर समस्त हमरायान के परिवादी के बताये अनुसार श्री अशोक पारख को उपरोक्त सरकारी आवास के बैठक कमरे में ले जाया गया जहा पर परिवादी श्री सुरजनराम ने टी टेबल पर रखे रिश्वती राशि के लिफाफे की ओर इशारा कर बताया कि यही रिश्वती राशि का लिफाफा है जो अभी–अभी श्री अशोक पारख ने मेरी फर्म द्वारा उनके कार्यालय को उपलब्ध कराये गये श्रमिको की बिल राशि दिलवाने, बिल बनवाने एवं अमानत राशि लौटाने की एवज रिश्वती राशि मांग कर रिश्वती राशि रखा लिफाफा टी टेबल पर रखवाया है तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री अशोक पारख उप मुख्य अभियन्ता से रूबरू मौतबिरान परिवादी सुरजनराम की ओर इशारा कर पूछा गया कि क्या आप इन्हे जानते है तथा कोई रिश्वती राशि या रिश्वती राशि रखा लिफाफा आपने प्राप्त किया या रखवाया है जिस पर श्री अशोक पारख कुछ समय मौन रहकर बताया कि मैं इन्हे जानता हूँ यह श्री सुरजन राम है जिन्होने अपनी फर्म सूर्या एण्ड कम्पनी बाड़मेर के नाम से मेरे कार्यालय को मानव संसाधन (श्रमिक) उपलब्ध करवाने हेतु वर्ष 2022–23 का ठेका ले रखा है तथा मेने इनसे कोई राशि या राशि रखा लिफाफा नही प्राप्त किया न ही कही रखवाया है। जिस पर पास ही खड़े परिवादी सुरजनराम ने आरोपी अशोक पारख उप मुख्य अभियन्ता के उपरोक्त कथनों का खण्डन करते हुये बताया कि श्री अशोक पारख झूठ बोल रहे है इनके द्वारा मेरी फर्म सूर्या एण्ड कम्पनी बाड़मेर को श्री अशोक पारख के कार्यालय एवं कार्यालय के अधीन मानव संसाधन (श्रमिक) उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2022–23 का ठेका दे रखा है। जिस पर मेरी फर्म द्वारा उनके कार्यालय एव कार्यालय के अधीन अन्य जगहो पर कुल 12 श्रमिक सफाईकर्मी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी माह अक्टूबर 2022 से उपलब्ध करा रखे है जिनकी मजदूरी के बिल की राशि 2.80 लाख दिलाने, बिल बनवाने एवं ठेके की अमानत राशि करीब 1 लाख रूपये लौटाने की एवज में श्री अशोक पारख उप मुख्य अभियन्ता द्वारा अभी–अभी मांग कर रिश्वती राशि का लिफाफा अपने सरकारी आवास के बैठक के कमरे में उक्त रखी टी टेबल पर रखवाया है, जिस पर श्री अशोक पारख से उक्त लिफाफा आपके कमरे में रखी टी टेबल पर किस तरह आया आदि के बारे में स्पष्टीकरण पूछने पर श्री अशोक पारख मौन रहे तथा निरूत्तर रहे। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री अशोक पारख आवासीय क्वार्टर के कमरे मे रखी टी टेबल के उपरी भाग ग्लास पर रखे रिश्वती राशि के लिफाफे में से राशि गवाह श्री राकेश कुमार से निकलवाई जाकर गिनवाई गई तो 500–500 रूपये के 70 नोट कुल राशि 35000 रूपये होना पाया गया जिस पर गवाह श्री सुशील को पूर्व में मुर्तिबाशुदा फर्द पेशकशी रिश्वती राशि दी जाकर बरामदा रिश्वती राशि के नोटों के नम्बरो का मिलान फर्द पेशकशी में अंकित नोटो के नम्बरों से करवाया गया तो नोटो के नम्बर हूबहू होना पाया गया। उक्त भारतीय मुद्रा 35000/–रूपये को बतौर वजह सबूत कपड़े के टुकड़े के साथ सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। जिस लिफाफे में रखी रिश्वती राशि बरामद हुई उक्त लिफाफे पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने हस्ताक्षर कर सम्बन्धितगणों के हस्ताक्षर करवाकर एक अन्य लिफाफे में डालकर कब्जा ब्यूरों लिया गया। आरोपी श्री अशोक पारख के सरकारी आवास के बैठक कमरे में रखी टी टेबल का उपरी भाग का ग्लास जिनके उपर रखे लिफाफे से रिश्वती राशि 35000 रूपये बरामद हुई का धोवन लेने हेतु दोनों स्वतन्त्र गवाहान के रूबरू एक कॉच के साफ गिलास में साफ पानी भरवाया गया। उक्त गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया गया तो उक्त गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिसे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया गया। तत्पश्चात ट्रैप बॉक्स से सफेद कपड़े की चिन्दी निकलवाकर कर रिश्वती राशि बरामदगी स्थल टी टेबल का उपरी भाग का ग्लास जहा से रिश्वती राशि बरामद हुई पर दो–तीन बार रगड़ कर उक्त तैयार रंगहीन घोल में डुबोंया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितान ने घोल का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर चस्पा पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों के चस्पे पर मार्क टी–1 व टी–2 अंकित किया गया। उक्त धोवन में प्रयुक्त सफेद कपड़े की चिन्दी को सुखाया जाकर चिन्दी पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने हस्ताक्षर कर सम्बन्धितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा चिन्दी को एक कपड़े की थैली में डालकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर शील्ड मौहर किया गया एवं थैली पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा हस्ताक्षर कर सम्बन्धित गणों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री अशोक पारख उप मुख्य अभियन्ता से परिवादी श्री सुरजनराम के पेंण्डिग कार्य उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिकों के मजदूरी के बिलों के बारे में पूछने पर उन्होने बताया कि उक्त बिल मेरे कार्यालय की लेखा शाखा में है। उक्त समस्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं रिश्वत राशि बरामदगी स्थल मुर्तिब की गई। आरोपी के सरकारी आवास एवं रहवासीय मकान की खाना तलाशी लेने हेतु उच्च अफसरान को निवेदन किया गया। तत्पश्चात् परिवादी के पैण्डिंग कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज

जब्त करने हेतु आरोपी अधिकारी के बतायेनुसार श्री हेमन्तसिंह चौहान लेखाधिकारी के मोबाईल नं. 9414084674 पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा फोन कर कार्यालय की लेखा शाखा में उपस्थित मिलने हेतु पाबन्द किया गया। तत्पश्चात दस्तयाब शुदा मुलजिम एवं प्रकरण में लिये गये पार्दश एवं बरामदा रिश्वति राशि श्री अयुब खान उप निरीक्षक पुलिस एवं ब्यूरो जाब्ते को व्यवस्थित सम्भलाये जाकर मन् निरीक्षक पुलिस हमराह दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं श्री मेघराज हैडकानि. के वास्ते दस्तावेज जब्ती हेतु मुख्य अभियन्ता जी.एल.पी.एल कार्यालय पहुंचा। जहां पर पूर्व से पाबन्दशुदा श्री हेमन्तसिंह लेखाधिकारी उपस्थित मिले। जिन्होने परिवादी श्री सुरजनराम की फर्म द्वारा उपलब्ध करवाये गये श्रमिकों के पैण्डिंग बिलों से सम्बन्धित मुल दस्तावेज पेश किये। परिवादी का पैण्डिग कार्य प्रभावित ना हो इसलिये मूल दस्तावेजों की फोटोप्रतियां प्रमाणित कर पेश करने हेतु कहा गया। जिस पर श्री हेमन्तसिंह लेखाधिकारी द्वारा उक्त मूल दस्तावेजो की फोटो प्रतियां करवाई जाकर फोटो प्रतियां की प्रमाणित प्रतियां पेश की जिनके प्रथम व अन्तिम पृष्टों पर सम्बन्धितगणों के हस्ताक्षर करवाकर जरिये जब्ती दस्तावेज जब्त किये गये। श्री हेमन्तसिंह लेखाधिकारी द्वारा परिवादी के शेष बिल श्री खेमराज परिहार अधिशाषी अभियन्ता जे.एल.पी.एल प्लान्ट थुम्बली के कार्यालय में होना बताने पर श्री हेमन्तसिंह से ही खेमराज परिहार के नम्बर ज्ञात कर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री खेमराज परिहार को उनके मोबाईल नं. 9414720309 पर फोन पर परिवादी श्री सुरजनराम की फर्म द्वारा उपलब्ध करवाये गये श्रमिकों के पैण्डिंग बिल लेकर कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बाड़मेर में उपस्थित आने के लिये पाबन्द किया गया। ताबाद मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमरायान के मुख्य अभियन्ता जी. एल.पी.एल बाड़मेर कार्यालय से जब्तशुदा दस्तावेज साथ लेकर श्री अशोक पारख के सरकारी आवास विद्युत विहार स्थित आवास नम्बर आर–2/1 पर पहुंचा। वक्त 11.05. पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस रूबरू मौतबिरान के परिवादी की निशादेही पर प्रयुक्त लाईट की रोशनी में घटना स्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका घटना स्थल एवं हालात मौका मन् निरीक्षक पुलिस के निर्देशन में श्री अयुब खान उप निरीक्षक पुलिस की हस्तलिपि में मुर्तिब किया गया। ताबाद श्री अशोक पारख के सरकारी आवास की श्री रामनिवास अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो बाड़मेर द्वारा ली जा रही खाना तलाशी में कोई व्यवधान न हो को मध्यनजर रखते हुए मन् निरीक्षक पुलिस मय दस्तायाब शुदा मुलजिम, जब्तशुदा पार्दश, हमराह स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं ब्यूरो जाब्ता के सरकारी एवं परिवादी के निजी वाहन से ब्यूरो चौकी बाड़मेर के लिये रवाना होकर ब्यूरो चौकी बाड़मेर पहुंचा एवं दस्तायाब शुदा मुलजिम को जाब्ते की सुरक्षा में कार्यालय में बिठाकर जब्तशुदा प्रार्दश, जब्तशुदा दस्तावेज एवं परिवादी के कार्य सम्बन्धित पत्रावली एवं रिश्वति राशि को अपने कब्जे में सुरक्षित रखा। दिनांक 12.04.2023 को वक्त 12.05 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्दशुदा श्री खेमराज परिहार अधिशाषी अभियन्ता जे.एल.पी.एल प्लान्ट थुम्बली जिला बाड़मेर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। जिन्होने अपना परिचय देकर परिवादी श्री सुरजनराम की फर्म द्वारा उपलब्ध करवाये गये श्रमिकों के कार्यो की माप पुस्तिकाओं, पैण्डिंग बिल, रिकवरी मिमों, एग्रीमेन्ट एवं कार्यादेश की प्रमाणित प्रतियां अपने पत्र कमांक एसपीएल दिनांक 11.04.2023 के द्वारा प्रस्तुत की। जिस पर श्री खेमराज परिहार से आवश्यक पुछताछ कर बाद अवलोकन समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां का एक बन्च जिनके प्रथम पृष्ट व अन्तिम पृष्ट पर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिये गये। तत्पश्चात वक्त 01.15 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा दस्तयाबशुदा आरोपी श्री अशोक पारख पुत्र श्री बच्छराज पारख उम्र 53 साल जाति जैन पैशा नौकरी निवासी मकान नम्बर 154 रूप रजत टाउनशिप पाल रोड़ जोधपुर हाल उप मुख्य अभियन्ता गिरल लिग्नाईट पॉवर (जी.एल.पी.एल.) बाड़मेर को रूबरू मौतबिरान उनके द्वारा किये गये जुर्म से आगह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। वक्त 05.00 ए.एम. पर मन् राजेन्द्रसिह निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री सुरजनराम हमराह, श्री रामकिशोर हैड कानि. व श्री मेघराज हैडकानि. को परिवादी के निजी वाहन से ब्यूरो कार्यालय स्पेशल युनिट जोधपुर के लिये रवाना कर मन् निरीक्षक पुलिस हमराह गिरफ्तारशुदा मुलजिम, दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता के मय फर्दातनुसार मालखाना आईटम एवं रिश्वति राशि एवं ट्रेप सामग्री को साथ लेकर जरिये सरकारी वाहन से एसीबी चौकी बाड़मेर से ब्यूरो चौकी स्पेशल युनिट जोधपुर के लिये रवाना होकर ब्यूरो चौकी स्पेशल युनिट जोधपुर पहुंचे। जहां फर्दातानुसार प्रकरण में जब्तशुदा आर्टिकल रिश्वति राशि बरामदगी स्थल टी टेबल का उपरी भाग ग्लास का लिया गया धोवन शील्ड शुदा शीशीयां मार्क टी–1, टी–2, रिश्वति राशि 6,000/–रूपये कपड़े के टुकड़े में शील्ड चिट शुदा एवं एक सफेद लिफाफा जिसमें रिश्वति राशि का लिफाफा रखा गया है खुली हालात में, एक सफेद कपड़े की चिन्दी का शील्डशुदा पैकेट को मालखाना प्रभारी श्री मेघराज हैड कानि. नं. 63 को सुरक्षित हालात में सम्भलाये जाकर जमा मालखाना करवाये गये एवं कार्यवाही से सम्बन्धित पत्रावली, डिजीटल वॉयस रिकार्डर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखा। तत्पश्चात वक्त 08.30 ए.एम. पर परिवादी श्री सुरजनराम एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान

श्री राकेश कुमार मीणा व श्री सुशील की उपस्थिति में दिनांक 10.04.2023 को परिवादी श्री सुरजनराम एवं आरोपी श्री अशोक पारख उप मुख्य अभियन्ता के मध्य रिश्वती राशि मांग सत्यापन की रूबरू हुई वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है। उक्त डिजीलट वॉयस रिकार्डर मन् निरीक्षक पुलिस की सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर रिकार्डर को मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री गणेश कुमार कानि. नं. 219 द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन तैयार की जाकर, फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता में परिवादी श्री सुरजनराम ने अपनी व श्री अशोक पारख की आवाज की पहचान की। उक्त वार्तालाप की विभागीय कम्प्यूटर की मदद से तीन सीडीयां तैयार की। एक सीडी को मुल मानते हुए कपड़े थैली में डालकर कपड़े की थैली को शील्ड मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। दो सीडीयों को डब मानते हुए खुला ही रहने दिया गया। उक्त तीनो सीडीयों को मालखाना प्रभारी श्री मेघराज हैडकानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। वक्त 11.15 ए.एम. पर गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री अशोक पारख का स्वास्थ्य परीक्षण कराने हेतु श्री अयुब खान उप निरीक्षक पुलिस, श्री अर्जुनसिंह कानि. एवं श्रीमती सुशीला महिला कानि. को जरिये तहरीर राजकीय सैटेलाईट अस्पताल पावटा के लिये रवाना किया गया जो वक्त 11.55 ए.एम. बाद स्वास्थ्य परीक्षण मय परीक्षण रिपोर्ट के उपस्थित आये। इसके बाद वक्त 12.05 पी.एम. पर परिवादी श्री सुरजनराम एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री राकेश कुमार मीणा व श्री सुशील की उपस्थिति में दिनांक 11.04.2023 को परिवादी श्री सुरजनराम एवं आरोपी श्री अशोक पारख उप मुख्य अभियन्ता के मध्य वक्त रिश्वती राशि लेन–देनरूबरू हुई वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है। उक्त डिजीलट वॉयस रिकार्डर मन् निरीक्षक पुलिस की सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर रिकार्डर को मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री गणेश कुमार कानि. नं. 219 द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत राशि लेन–देन तैयार की जाकर, फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता में परिवादी श्री सुरजनराम ने अपनी व श्री अशोक पारख की आवाज की पहचान की। उक्त वार्तालाप की विभागीय कम्प्यूटर की मदद से तीन सीडीयां तैयार की। एक सीडी को मुल मानते हुए कपड़े थैली में डालकर कपड़े की थैली को शील्ड मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। दो सीडीयों को डब मानते हुए खुला ही रहने दिया गया। उक्त तीनो सीडीयों को मालखाना प्रभारी श्री मेघराज हैडकानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई।

अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से दिनांक 10.04.2023 को वक्त रिश्वति राशि मांग सत्यापन आरोपी श्री अशोक पारख उप मुख्य अभियन्ता गिरल लिग्नाईट पॉवर लिमीटेड (जी.एल.पी.एल.) बाड़मेर द्वारा परिवादी श्री सुरजनराम की फर्म सुर्य एण्ड कम्पनी बाड़मेर को कार्यालय मुख्य अभियन्ता गिरल लिग्नाईट पॉवर लिमीटेड (जी.एल. पी.एल.) बाड़मेर को वर्ष 2022–23 में मानव संसाधन (श्रमिक) उपलब्ध करवाने हेतु ठेका दिया गया। जिस पर परिवादी की उक्त फर्म द्वारा 6 सफाई कर्मचारी एवं 6 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कुल 12 श्रमिक माह अक्टूबर 2022 से उपलब्ध करवाये गये है। उक्त श्रमिकों का भुगतान एवं भुगतान बिल बनाना एवं अमानत राशि लौटाना श्री अशोक पारख उप मुख्य अभियन्ता गिरल लिग्नाईट पॉवर लिमीटेड (जी.एल.पी.एल.) बाड़मेर द्वारा रोक रखा है। उक्त राशि भुगतान राशि 2.80 लाख रूपये एवं 6 लाख रूपये के श्रमिके के बिल एवं अमानत राशि करीब 1 लाख रूपये इस प्रकार कुल राशि करीब 9.80 लाख रूपये का भुगतान रोक रखा है। बनाये गये बिलों का भुगतान करवाने, पैण्डिंग बिल बनवाने एवं अमानत की राशि लौटाने बाबत परिवादी से वक्त रिश्वति राशि मांग सत्यापन 36,000/–रूपये रिश्वति राशि का मांग करना तथा परिवादी द्वारा राशि कम करने की विनती करने पर 35,000/–रूपये लेने के लिये सहमत होना। एवं आरोपी द्वारा अपने निवास के गार्डन के मजदूरी पेटे परिवादी से नकद 3000 रूपये प्राप्त करना। दिनांक 11.04. 2023 को वक्त रिश्वति राशि लेन–देन आरोपी श्री अशोक पारख उप मुख्य अभियन्ता द्वारा परिवादी श्री सुरजनराम से ईशारों में रिश्वति राशि की मांग कर रिश्वति राशि अपने सरकारी आवास के बैठक के कमरे में रखी टी टेबल पर रखने का ईशारा करने पर परिवादी द्वारा रिश्वति राशि 35,000/–रूपये का लिफाफा उक्त आरोपी द्वारा बताई टी टेबल पर रखना एवं परिवादी द्वारा पूरे 35,000/–रूपये की बात कहने पर आरोपी द्वारा उक्त राशि प्राप्त करने की स्वीकारोक्ति देना। रिश्वति राशि उक्त टी टेबल के उपरी भाग के ग्लास से ब्यूरो द्वारा बरामद करना, रिश्वति राशि बरामदगी स्थल टी टेबल का उपरी भाग ग्लास का धोवन हल्का गुलाबी आना तथा परिवादी के पैण्डिंग कार्य श्रमिकों के भुगतान के पैण्डिंग बिल आरोपी के कार्यालय की विभिन्न शाखाओं से जब्त करना, आदि कृत्य आरोपी श्री अशोक पारख पुत्र श्री बच्छराज पारख उम्र 53 साल जाति जैन पैशा नौकरी निवासी मकान नम्बर 154 रूप रजत टाउनशिप

पाल रोड़ जोधपुर हाल उप मुख्य अभियन्ता गिरल लिग्नाईट पॉवर (जी.एल.पी.एल) बाड़मेर का अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 प्रथम दृष्टया कारित करना प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपी श्री अशोक पारख पुत्र श्री बच्छराज पारख उम्र 53 साल जाति जैन पैशा नौकरी निवासी मकान नम्बर 154 रूप रजत टाउनशिप पाल रोड़ जोधपुर हाल उप मुख्य अभियन्ता गिरल लिग्नाईट पॉवर (जी.एल.पी.एल) बाड़मेर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्तेक्रमांकन प्रेषित है।

भवदीय

(राजेन्द्रसिंह)

निरीक्षक, पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
स्पेशल यूनिट, जोधपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, जोधपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में आरोपी अशोक पारख उप मुख्य अभियन्ता गिरल लिग्नाईट पॉवर लिमिटेड (जी.एल.पी.एल.) बाड़मेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 83/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

12/4/23

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 658-61 दिनांक 12.04.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम, जोधपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
4. अतितिरक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू., जोधपुर।

12/4/23

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।